भारत सरकार
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 639
जिसका उत्तर 25.07.2024 को दिया जाना है

ई-वाहन नीति

639. श्री सी. एम. रमेशः
क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार ने हाल ही में देश के लिए ई-वाहन नीति को स्वीकृति प्रदान की है और यदि हां, तो इस नीति के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं;
(ख) उक्त नीति के अंतर्गत घरेलू निवेशकों और विदेशी निवेशकों को दी जाने वाली रियायतों का ब्यौरा क्या है;
(ग) उक्त नीति से भारत को एक इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण केन्द्र बनाने में कितनी सहायता मिलेगी; और
(घ) इस नीति के अंतर्गत ईवी निर्माताओं के लिए कितने प्रतिशत घरेलू मूल्य संवर्धन को अनिवार्य कर दिया गया है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) और (ग) भारी उद्योग मंत्रालय ने वैश्विक ईवी निर्माताओं से निवेश आकर्षित करने और भारत को ई-वाहनों के विनिर्माण गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने के लिए 15.03.2024 को 'भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना' (एसपीएमईपीसीआई) नामक एक योजना अधिसूचित की है।

(ख) (i) एसपीएमईपीसीआई योजना के तहत, आवेदकों को इस योजना के अनुसार शर्तों के अधीन 15% की कम सीमा शुल्क पर उनके द्वारा निर्मित ई-4डब्ल्यू की पूर्णतः निर्मित इकाई (सीबीयू) का आयात करने की अनुमति दी जाती है।

(ii) इस योजना के तहत, ईवी यात्री कारों (ई-4डब्ल्यू) को भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा अनुमोदन पत्र जारी करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए 15% की शुल्क दर पर न्यूनतम लागत, बीमा और माल ढुलाई (सीआईएफ) मूल्य 35,000 अमेरिकी डॉलर के साथ आयात किया जा सकता है। प्रति वर्ष पूर्वोक्त कम शुल्क दर पर आयात की जाने वाली ई-4डब्ल्यू की अधिकतम संख्या 8000 तक सीमित होगी। अप्रयुक्त वार्षिक आयात सीमा का उपयोग अगले वर्ष करने की अनुमति होगी।

(iii) इस योजना के अंतर्गत आयात किए जाने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों की अधिकतम संख्या ऐसी होगी कि कुल छोड़ा गया शुल्क निम्नलिखित में से निम्नतम तक सीमित होगा:

1. प्रति आवेदक को अधिकतम छोड़ा गया शुल्क (6,484 करोड़ रुपये तक सीमित) या,
2. आवेदक का प्रतिबद्ध निवेश (करोड़ में)

(घ) आवेदक कंपनी या उसके कंपनियों के समूह को योजना के अंतर्गत अर्हता प्राप्त करने और लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित सामान्य मानदंडों को पूरा करना होगा:-

पात्रता मापदंड	ऑटो ओईएम
आवेदन के समय नवीनतम लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणों के आधार पर वैश्विक समूह राजस्व (ऑटोमोटिव विनिर्माण से)	न्यूनतम 10,000 करोड़ रुपये
आवेदन के समय नवीनतम लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणों के आधार पर निवेश	3,000 करोड़ रुपये की अचल परिसंपत्तियों (सकल ब्लॉक) में कंपनी या इसके कंपनियों के समूह का वैश्विक निवेश
3 वर्ष की अवधि के दौरान भारत में न्यूनतम निवेश प्रतिबद्धता	4,150 करोड़ रु.
3 वर्ष की अवधि के दौरान भारत में अधिकतम निवेश प्रतिबद्धता	कोई सीमा नहीं
विनिर्माण के दौरान घरेलू मूल्य संवर्धन मानदंड	भारी उद्योग मंत्रालय/परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) द्वारा अनुमोदन पत्र जारी करने की तिथि से 3 वर्षों के भीतर 25% और 5 वर्षों के भीतर 50% लक्ष्य प्राप्त किया जाना है।

*****